अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा
RMA No- 24/ 2013

4/12/2022

अपीलकर्त्ता- सोनालाल मुर्मू वगै0

बनाम

उत्तरवादी- महालाल मरण्डी वगै0

-: आदेश :-

उभय पक्ष के विद्वन अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्त्तमान द्वितीय अपीलवाद विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय कें टाईटल अपील नं0-01/1999 (दरबारी मुर्म वगै0 बनाम् मंगल मरांडी वगै) में दिनांक-31.03.2003 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा श्रीमान् उपायुक्त महोदय गोड्डा के न्यायालय में अपील दायर किया गया था, जिसे दिनांक-24.06.2013 को हस्तांतरण के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-अमरपुर, नं0-534 जमाबंदी नं0-162, कुल रकवा 06-18-01 धूर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में रमका टुडू के नाम से दर्ज है रकमा टुडू की मृत्यु नावल्द हो गयी थी उन्होने अपनी जमीन घसिया मरांडी को कुर्फा से हस्तांततित किया था जबकि संथाल कस्टमरी कानून के अनुसार बहन के बेटा को जमीन पर हक नही मिल सकता है जबकि अपीलकर्त्तागण रमका टुडू की पत्नी मो0 सालो के दादा की अपनी बहन थी इसलिए उत्तरवादीगण का दावा गलत है। निम्न न्यायालय उक्त बिन्दु पर निर्णय देने में सक्षम नही हुए है इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियमसंगत नही है उन्होने निम्न न्यायालय द्वारा परित आदेश को रद्द करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्तागण के द्वारा अपील आवेदन के साथ अपील के काल अवधि को क्षांत करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा-5 के तहत आवेदन दाखिल किया है इसके आलोक में विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश निर्गत किया गया है।

उत्तरवादी की ओर से हेमलाल मरांडी की मृत्यु हो गयी है उनकी ओर से किसी के द्वारा भी पक्षकार बनने हेतु आवेदन नही दिया है।

उत्तरवादी के विज्ञान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-अमरपुर, नं0-534 जमाबंदी नं0-162, कुल रकवा- 00-18-01 धूर जमीन रमका टुडू के नाम से दर्ज है। रामका टुडू को एक बहन रैमत टुडू थी जिनकी शादी अमरपुर के श्रीराम मरांडी के साथ हुई थी। श्रीराम मरांडी एवं रैमत टुडू से एक पुत्र धसिया मरांडी हुए। धसिया मरांडी अपने पीछे एक पुत्र छोटो मरांडी को छोड़कर फौत कर गये। उत्तरवादीगण छोटो मरांडी के वंशज है। चूँकि रामका टुडू को अवलाद नही था। इसलिए उन्होंने अपना सेवा-सुसरवा (देख-भाल) के लिए अपना भैगना धसिया मरांडी को रख लिया था। धसिया मरांडी ही अपने मामा रमाका टुडू का देख-भाल

किया करते थे एवं खेती-बाड़ी में उनका मदद किया करते थें उन्होंने अपने जीवन काल में ही पारिवारिक समझौता के अनुसार कागज तैयार कर अपनी सम्पूर्ण जमीन धसिया मरांडी के नाम कर दिया था। इसप्रकार धसिया मरांडी उनके सम्पूर्ण जमीन का दखलकार हुए। धसिया मरांडी के बाद उनके पूत्र छोटो मरांडी दखलकार हुए। छोटो मरांडी की मृत्यु के बाद उत्तरवादीगण उक्त भूमि पर दखलकार हुए। लेकिन उभय पक्षों के बीच एक फौजदारी मामला हुआ था जिसके दौरान उत्तरवादीगण को यह मालुम हुआ कि अपीलकर्त्तागण गलत तरीके से उक्त जमाबंदी की जमीन पर दावा कर रहे है। इसके पश्चात् उत्तरवादी के पूर्वज छोटो मरांडी के द्वारा टाईटल सूट वाद दायर किया गया। जिसमें उत्तरवादी के पक्ष में डीग्री प्रदान किया गया। उक्त डिग्री एवं उत्तरवादी के उक्त जमीन पर स्वामित्व कायम होने के कारण ही अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा उत्तरवादी के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध अपीलकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपीलवाद दायर किया था। चूँकि उक्त भूमि पर उत्तरवादी के पक्ष में स्वामित्व का डिग्री सक्षम न्यायालय के द्वारा किया गया था इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गोड्डा ने अंचल अधिकारी, गोड्डा के नामांतरण वाद संख्या- 01/2000-01 में पारित आदेश को सही मानते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया है। इस प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नही है। इसलिए अपीलकर्त्ता का आवेदन खारिज करने योग्य है। अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील को खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्षों के विद्धान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदधिकारी के द्वारा सम्यक रूप से विचारोंपरांत अपीलकर्त्ता के टाईटल अपील नं0-01/1999 मे दिनांक-31.03.2003 को पारित आदेश नियम संगत है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता महसुस नही होती है। अतः अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया जाता है। असंतुष्ट पक्षकार सक्षम न्यायालय जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.05.30 13:16:15 +05:30
Location: 192.168.1.3